



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



27 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 36 राँची, बुधवार,

17 जनवरी, 2024 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2023

संख्या-म०नि०-1-स्था०-130/47/2014/ 1613-- भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन मात्स्यिकी तकनीकी सहायक के पदों पर भर्ती और प्रोन्नति का आधार एवं प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

अध्याय-1 :- प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

[1] यह नियमावली "झारखण्ड मत्स्य प्रक्षेत्र मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2023" कही जायेगी ।

- [2] इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा। यह नियमावली कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन मत्स्य निदेशालय के नियंत्रणाधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लागू होगी।
- [3] यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ :-** इस नियमावली में जबतक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो -

- (क) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार।
- (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।
- (ग) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक मत्स्य।
- (घ) "कोटि" से अभिप्रेत है नियम-3 के अन्तर्गत निर्धारित कोटि।
- (ङ) "मेधा सूची" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची।
- (च) "संवर्ग" से अभिप्रेत है मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (मूल कोटि एवं कोटि-II तथा कोटि-I) पदों का संवर्ग।
- (छ) "परिबोध प्रशिक्षण" से अभिप्रेत है मात्स्यिकी तकनीकी सहायक संवर्ग के किसी मौलिक रिक्ति में या उसके विरुद्ध परीक्ष्यमान रूप से नियोजित व्यक्ति के लिए नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा संचालित प्रशिक्षण।
- (ज) "नियंत्री पदाधिकारी" से अभिप्रेत है संबद्ध कार्यालयों के घोषित नियंत्री पदाधिकारी।

अध्याय-2 :- पद/कोटि

3. **मात्स्यिकी तकनीकी सहायक के पद/कोटि संरचना एवं बल :-**

- (1) मात्स्यिकी तकनीकी सहायक संवर्ग के लिए कुल स्वीकृत/अधिकृत बल के अंतर्गत विभिन्न वेतनमानों में उनका नामकरण (कोटि) एवं पदों की संख्या, मात्स्यिकी तकनीकी सहायक के पदों का नामकरण एवं उनमें पदों की संख्या का अनुपात/प्रतिशत निम्न प्रकार निर्धारित होगा। मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (मूल कोटि) का पद मूल कोटि का पद होगा:-

क्र०	पदनाम/ कोटि	वेतनमान	पदों की संख्या का अनुपात (तीनों कोटि मिलाकर कुल स्वीकृत बल का)
1	मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (मूल कोटि)	PB-I,5200-20200, G.P.-1800 L-1	55 प्रतिशत
2	मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (कोटि-II)	PB-I,5200-20200, G.P.-1900 L-2	25 प्रतिशत
3	मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (कोटि-I)	PB-I,5200-20200, G.P.-2000 L-3	20 प्रतिशत

- (2) भर्ती/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।
- (3) मात्स्यिकी तकनीकी सहायक के पद समूह "ग" के पद माने जायेंगे।
- (4) अधिकृत बल वही होंगे जो किसी कार्यालय के लिए वर्तमान बल है या इस कार्य हेतु समय-समय पर स्वीकृत किये जाएँ।
- (5) इस संवर्ग के सभी पद राज्य स्तरीय होंगे।
- (6) इस नियमावली के गठन के पूर्व मछुआ के पद, मात्स्यिकी तकनीकी सहायक के पदनाम से नामोदिष्ट होंगे एवं मछुआ के पद पर कार्यरत कर्मी मात्स्यिकी तकनीकी सहायक के पदनाम से जाने जायेंगे।

अध्याय-3:- भर्ती

4 भर्ती की प्रक्रिया :-

- (1) रिक्ति की गणना:- प्रत्येक वर्ष 1 ली जनवरी को आधार तिथि मानकर रिक्तियों की गणना की जायेगी। उक्त रूप में परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लीयरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से 28/29 फरवरी तक भेजी जायगी। अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजन द्वारा या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जायेगी।
- (i) मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (मूल कोटि) (PB-I,5200-20200, G.P.-1800 L-1) के शत-प्रतिशत पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा अधियाचित रिक्ति के आलोक में, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची में से मेधाक्रम के अनुसार आरक्षण का पालन करते हुए निदेशक मत्स्य द्वारा की जायेगी।
- (2) आरक्षण:-राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण नीति एवं रोस्टर लागू होंगे।

(3) शैक्षणिक योग्यता :-

(i) अनिवार्य योग्यता - अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम इंटरमीडियेट (जीव विज्ञान)/10+2 (जीव विज्ञान) कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(4) उम्र सीमा :- न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी जो सीधी भर्ती हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित हो। उम्र निर्धारण हेतु कट-आफ- डेट अधियाचना वर्ष की पहली अगस्त होगी।

(5) चयन प्रक्रिया :- "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडियेट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015," (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं तदन्तर के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगा और निदेशक मत्स्य की अधियाचना के क्रमानुसार मेधा सूची उपलब्ध करायेगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जाएगी।

(6) **रिक्तियाँ अग्रणीत :-** किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अध्यायना के लिए अग्रणीत की जायेंगी ।

5. **नियुक्ति प्राधिकार :-** निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची नियुक्ति प्राधिकार रहेंगे ।

6. **नियुक्ति:** अध्यायचित रिक्ति के विरुद्ध सफल अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति आयोग द्वारा प्रेषित अनुशंसा सूची में रखे गये नामों के क्रमानुसार नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परीक्षाधीन मात्स्यकी तकनीकी सहायक (मूल कोटि) के रूप में की जायेगी ।

आयोग द्वारा अनुशंसित सूची से नियुक्ति का अधिकार तभी प्रदत्त होगा जब ऐसी जाँच के पश्चात् जैसा कि आवश्यक समझा जाय एवं निदेशक मत्स्य को यह सामाधान हो जाये कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

7. **परीक्षा की अवधि एवं प्रशिक्षण :-**

(1) मात्स्यकी तकनीकी सहायक (मूल कोटि) के पदों पर खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति होने की तिथि से दो वर्षों तक परीक्षाधीन मात्स्यकी तकनीकी सहायक माना जायेगा जिन्हें मत्स्य निदेशालय द्वारा मात्स्यकी का **परिबोध प्रशिक्षण** प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण की यह अवधि न्यूनतम तीन माह की होगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं निर्धारित 50 मीटर के दो लैप की सफल तैराकी तथा जाँच परीक्षा में परीक्षाधीन मात्स्यकी तकनीकी सहायक को उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

परिबोध प्रशिक्षण के उपरान्त जाँच परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षाधीन मात्स्यकी तकनीकी सहायक को तैयारी हेतु कम से कम एक माह का समय देते हुए अगली जाँच परीक्षा आयोजित की जाएगी ।

(2) प्रशिक्षण तथा जाँच परीक्षा का संचालन एवं व्यवस्था नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर से की जायेगी ।

(3) **विभागीय परीक्षा :-** (i) मात्स्यकी तकनीकी सहायक (मूल कोटि) के पद पर नियुक्त कर्मियों के लिए मत्स्य निदेशालय द्वारा “विभागीय परीक्षा” आयोजित की जाएगी। इस विभागीय परीक्षा के सर्वोच्च नियंत्रक निदेशक, मत्स्य होंगे जिनके निदेशानुरूप विभागीय परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा के आयोजन हेतु निदेशक, मत्स्य को आवश्यक नीति/प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा ।

(ii) मात्स्यकी तकनीकी सहायक (मूल कोटि) संवर्ग के कर्मियों को दो पत्रों यथा- (i) प्रावैधिकी एवं (ii) लेखा निम्न स्तर (प्रथम पत्र) की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रावैधिकी उत्तीर्णता हेतु 40 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे ।

(iii) विभागीय परीक्षा प्रावैधिकी के विषय वस्तु निम्न प्रकार होंगे:-

प्रावैधिकी

- (1) जलकृषि के विविध आयाम
- (2) भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य प्रक्षेत्र का योगदान
- (3) झारखण्ड राज्य के मात्स्यकी का सांख्यिकी विश्लेषण
- (4) जलाशय मात्स्यकी का विकास

- (5) मिश्रित मत्स्य पालन तथा समेकित मत्स्य पालन
- (6) मत्स्य बीज उत्पादन तथा बीज बैंक की अवधारणा
- (7) कृत्रिम प्रजनन तथा हैचरी संचालन
- (8) तालाब निर्माण हेतु स्थल निरीक्षण, मिट्टी का वर्गीकरण तथा तालाब की संरचना
- (9) कृत्रिम आहार आधारित मत्स्य उत्पादन
- (10) रंगीन मछली पालन, प्रजनन एवं व्यवसाय
- (11) मत्स्य पालक विकास अभिकरण, राजस्व जलकर प्रबंधन
- (12) मछलियों में बिमारी एवं उनकी रोकथाम
- (13) तकनीक हस्तान्तरण एवं प्रचार-प्रसार माध्यम
- (14) मत्स्य सांख्यिकी एवं डेटा संधारण

(iv) मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (मूल कोटि) संवर्ग के कर्मियों को राजस्व पर्वद्वारा आयोजित लेखा निम्न स्तर (प्रथम पत्र) परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

8. सम्पुष्टि तथा वेतनवृद्धि:-

परिवीक्षा अवधि, मात्स्यिकी प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा, विभागीय परीक्षा एवं जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के बाद उनकी सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उनकी सेवा सम्पुष्टि की जायेगी। हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के बाद प्रथम वेतनवृद्धि एवं विभागीय परीक्षा एवं जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के बाद द्वितीय वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी। वार्षिक वेतनवृद्धि कार्यालय प्रधान द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध रहेगी तथा परीक्षा उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतनवृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा।

9. वरीयता :-

- (1) मात्स्यिकी तकनीकी सहायक की पारस्परिक वरीयता, एतद् विषयक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगी।
- (2) वरीयता नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर पर संधारित होगी।
- (3) पूर्व से कार्यरत मछुआ की वरीयता उनके पूर्व की वरीयतसूची के अनुसार मात्स्यिकी तकनीकी सहायक के पदनाम से अवधारित होगी। साथ ही एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि (जो ज्यादा उम्र के होंगे, वे वरीय होंगे), या जन्म तिथि एक रहने पर नियुक्त कर्मियों की इंटरमीडिएट/10+2 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी।
- (4) अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि के बाद इस नियमावली के तहत नियुक्त मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (मूल कोटि) की वरीयता आयोग की अनुशंसा में अंकित नामों के क्रमानुसार रहेगी।

अध्याय-4 :- प्रोन्नति

10. प्रोन्नति :-

- (1) कोटिवार संरचना में मूल कोटि के पद मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (मूल कोटि) (PB- 1), (5200-20200 एवं ग्रेड पे-1800 L-1) से उच्चतर कोटि के पद मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (कोटि-II, PB-1 5200-20200, G.P-1900 L-2) पर तथा मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (कोटि-II वेतनमान PB-1, 5200.20200, G.P-1900 1900) के पदधारकों से मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (कोटि-I), (वेतनमान PB-1 5200-20200, G.P-2000 L-3) के पदों पर प्रोन्नतिनिर्धारित कालावधि पूर्ण होने तथा सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त प्रोन्नति हेतु सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए निम्न कंडिका(6) के द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर वरीयता-सह- सुयोग्यता के आधार पर दी जायेगी ।
- (2) प्रोन्नति हेतु पदों की कोटिवार (Grade wise) संरचना नियम-3 के अनुसार होगी ।
- (3) प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर (एतद् विषयक) निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार होगी ।
- (4) **कालावधि** :- राज्य सरकार के अधीन विभिन्न संवर्गीय पद के लिए विहित वेतनमानों के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा ग्रेड पे आधारित प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि मानी जायेगी ।
- (5) राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति हेतु यथा निर्धारित आरक्षण नीति एवं रोस्टर लागू होंगे ।
- (6) **विभागीय प्रोन्नति समिति** :- निदेशालय स्तर पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-

- | | |
|---|--------------|
| (1) निदेशक मत्स्य | - अध्यक्ष |
| (2) संयुक्त मत्स्य निदेशक (स्थापना प्रभारी) | - सदस्य |
| (3) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनु०जाति/अनु०ज०जाति के पदाधिकारी | - सदस्य |
| (4) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) द्वारा मनोनीत विभाग के अवर सचिव | - सदस्य |
| (5) उप मत्स्य निदेशक (स्थापना) | - सदस्य सचिव |

अध्याय-5:- प्रकीर्ण

- 11. पदस्थापन/स्थानान्तरण** :- नियुक्ति पदाधिकारी पदस्थापन/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकृत पदाधिकारी रहेंगे ।
- 12.** अवकाश/चरित्र पुस्ती/सेवा पुस्त आदि के संबंध में समय-समय पर इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी रहेंगे ।
- 13. अनुशासनिक कार्रवाई** :- अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के समूह "ग" के पद मान कर्मियों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत कार्यालय प्रधान/नियंत्री पदाधिकारी/ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सकेगी ।

14. विविध :-

- (1) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में उपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू झारखण्ड सरकार के अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे।
- (2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।
- (3) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

15. निरसन और व्यावृत्ति :-

- (1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस नियमावली के विषयों से संबंधित नियमावली या निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

अबुबक्कर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव।

परिशिष्ट - 1

विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	समूह/संवर्गीय/ गैर संवर्गीय	वेतनमान/ वेतन संरचना	कालावधि	सेवा नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7
जलकृषि एवं अन्तर्देशीय मछली पालन, मत्स्य सांख्यिकी, विभागीय परिपत्र, विभागीय योजनाएँ आदि। (यथा नियमावली की कंडिका-7 (3) में अंकित)	1. निदेशक मत्स्य - अध्यक्ष 2. संयुक्त मत्स्य निदेशक (स्थापना प्रभारी)-सदस्य 3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनु०जाति/अनु०ज०जाति के पदाधिकारी - सदस्य 4. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) द्वारा मनोनीत विभाग के अवर सचिव- सदस्य 5. उप मत्स्य निदेशक (स्थापना) - सदस्य सचिव	मात्स्यिकी तकनीकी सहायक कोटि- II (प्रोन्नति के प्रथम स्तर का पद)	समूह 'ग' अराजपत्रित/ संवर्गीय	PB-I 5200-20200 ग्रेड पे-1900 L-2	राज्य सरकार के अधीन विभिन्न संवर्गीय पद के लिए विहित वेतनमानों के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा ग्रेड पे आधारित प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि।	निदेशक मत्स्य
		मात्स्यिकी तकनीकी सहायक कोटि- I (प्रोन्नति के द्वितीय स्तर का पद)	समूह 'ग' अराजपत्रित/ संवर्गीय	PB-I 5200-20200 ग्रेड पे- 2000 L-3		

सरकार के सचिव ।
